राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

क्रम तामील
नंबर व
तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–नोवी
पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व विविध सं. 4565/2015
दायरा तिथि 11.08.2015
आदेश तिथि 14.05.2016

प्रार्थी–	**बनामः**	**अप्रार्थी–**
वीराराम पुत्र किशनाजी जाति मेणा निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर		तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.L.R.Act,1956
–: आ दे श :–

आदेश दिनांक 14.05.2016

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–नोवी में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। लोकअदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रश्नगत् मामले की विवादित–स्थिति अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध कतिपय प्रावधान के तहत यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को राजस्व अभियान केम्प नोवी में दिनांक 14.06.1989 को सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 888 रकबा 1.51 हेक्टर में से रकबा 0.81 हेक्टर भूमि आवंटन हुई थी तथा पटवारी हल्का ने वक्त आवंटन से ही सुमेरपुर–नोवी सडक से दक्षिण दिशा में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क A B C D दर्ज अनुसार मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था, तब से आज तक लगातार मौके पर प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त आवंटित सुदा भूमि के खसरा नं. 952/888 रकबा 0.81 हेक्टर बनाए गये जो प्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज की गई जिसमें चारों तरफ बाड/धोरापाली की हुई है व प्रार्थी परिवार के आवासीय मकान बने हुए है, परन्तु प्रार्थी की उक्त आवंटित व कब्जा सुदा कृषि भूमि को नक्शा–ट्रेस में तरमीम नहीं किया जिससे खसरा नं. 888 की सम्पूर्ण भूमि राजस्व रेकर्ड व नक्शा–ट्रेस में एक ही रही है और इस वजह से राजस्व विभाग द्वारा खसरा नं. 888 की मौका स्थिति अनुसार तरमीम नहीं से एवं मात्र टेबल तरमीम करके अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास के लिए गलत रूप से प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान जिला कलेक्टर पाली को भिजवाये जाने से उनके आदेश दिनांक 05.12.2014 द्वारा खसरा नं. 888 रकबा 0.70 हेक्टर में से रकबा 0.68 हेक्टर भूमि उक्त छात्रावास के लिए आवंटित की गई और इस आधार पर मूल नक्शे में गलत रूप से तरमीम कर दिया, जबकि प्रार्थी के आवंटन व कब्जा सुदा भूमि की मौका स्थिति को ध्यान में रखकर ही तरमीम करना चाहिए था।

प्रार्थी ने अपने कथित प्रार्थना पत्र में यह भी जाहिर किया कि प्रार्थी की आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि सुमेरपुर–नोवी रोड से दक्षिण दिशा में खसरा नं. 886 तक है जिसका नक्शा–ट्रेस में तरमीम नहीं करके दृेष–भावना से खसरा नं. 888 के मध्य से पीछे खसरा नं. 886 की सीमा से लगते हुए तरमीम की गई और सुमेरपुर–नोवी रोड पर उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज की गई है जिसे नजरी नक्शा में मार्क C D E F बरंग आसमानी से दर्शाया है जबकि मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नजरी नक्शा में बरंग लाल व आसमानी के

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

अनुसार है जिसे खसरा नं. 952/888 दर्शाए हुए है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर नजरी नक्शे में बरंग लाल व आसमानी से मार्क A B C D जो प्रार्थी की आवंटन व कब्जा काश्त सुदा भूमि है, में से मार्क C D E F बरंग आसमानी अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास भवन की राजकीय भूमि को पुनः संशोधित तरमीम करवाकर प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा, जमाबंदी संवत् 2060–63, जमाबंदी संवत् 2044–47, नामान्तरकरण सं. 85, 386, नक्शा–ट्रेस इत्यादि प्रतियां पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामला पंजीबद्ध किया गया। पक्षकारों की सहमति पर प्रश्नगत् मामले में विवादग्रस्त भूमि से संबंधित मौका स्थिति की सर्वे रिपोर्ट हेतु गठित सर्वे–दल क्रमशः पटवारी नोवी, पटवारी गोगरा, पटवारी बलुपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक चाणोद द्वारा प्रार्थी वीराराम व उनके अधिवक्ता तथा अप्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर की मौजूदगी में दिनांक 04.12.2015 को सर्वे–नपाई की मौका फर्द तैयार कर पत्रावली पर पेश कर रखी है, जिसके अवलोकन पश्चात् तथाकथित सर्वे–नपाई मौका फर्द से हम सहमत है तथा प्रश्नगत् मामले में पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड अनुसार प्रार्थना पत्र में अभियक्त प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है तथा प्रश्नगत् वाद–विषयक स्थिति पर विचारण करने के पश्चात् एवं इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प की मंशा के अनुरूप प्रार्थीपक्ष को सुलभ न्याय दिलाने के लिए हमारी विधिक राय है कि प्रार्थी का तथाकथित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी कायह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के कतिपय प्रावधान के तहत स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा नोवी तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 888 रकबा 1.51 हेक्टर में से रकबा 0.81 हेक्टर जिसके कि हाल खसरा नं. 952/888 रकबा 0.81 हेक्टर बने है जिसे नजरी नक्शा में बरंग लाल व आसमानी से मार्क A B C D से दर्शाया हुआ है, यह भूमि प्रार्थी वीराराम पुत्र किशनाजी कौम मेणा साकिन नोवी की आवंटित सुदा एवं कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है में से मार्क C D E F बरंग आसमानी से दर्शित सुदा भूमि अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास भवन नोवी के लिए आवंटित हुई है, के बारे में मूल राजस्व नक्शा तरमीम गलत हुआ है, को दुरूस्त किया जाकर नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल व आसमानी से मार्क A B C D की भूमि का प्रार्थी को खातेदार मानते हुए मूल राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने एवं तद्परान्त अनुसूचित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास भवन नोवी के लिए आवंटित सुदा भूमि का मूल राजस्व नक्शा में तरमीम किया जावे, का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का नोवी माफिक आदेश मूल राजस्व नक्शा में नियमानुसार तरमीम करके पालना सुनिश्चित् करे। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना व पढा जायेगा।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 14.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नोवी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय की मुहर: उपखण्ड अधिकारी ... पाली (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner